समक्ष न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

याचिका कमांक– /2018 निगरानी–3619/2018/विदिशा/भू.रा.

आवेदिका — श्रीमती राजविन्दर कोर पत्नी श्री सतवेन्द्र सिंह पुत्री श्री फौजासिंह, जाति– सिक्ख, निवासी– ग्राम अरबरिया, तहसील व जिला– विदिशा म0प्र0

बनाम

रेस्पोडेन्ट्गण

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री विचित्र सिंह, जाति– सिक्ख, निवासी– ग्राम अरबरिया, तहसील व जिला– विदिशा म0प्र0
2. अपार सिंह पुत्र स्व0 श्री विचित्र सिंह, जाति– सिक्ख, निवासी– ग्राम अरबरिया, तहसील व जिला– विदिशा म0प्र0
3. म0प्र0 शासन जर्ये कलेक्टर महोदय, विदिशा
4. श्रीमान आयुक्त महोदय, भोपाल म0प्र0

न्यायालय श्रीमान,

अपर आयुक्त महोदय भोपाल प्रकरण कमांक 78/आर/ 11–12 आदेश दिनाक 31.03.2018 एवं माननीय कलेक्टर महोदय विदिशा प्रकरण कमांक 79/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2011 एवं माननीय उप खण्ड अधिकारी विदिशा प्रकरण कमांक 54/अपील/09–10 पारित आदेश दिनांक 13.12.2010 के विरुद्ध (धारा 5 के संबंध में) परिवेदिक होकर यह निगरानी /याचिका पेश की जा रही है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदिका की ओर से उक्त निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3619/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.07.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक क्र. 1 अपीलाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार होने से उसको आदेश की जानकारी न होने से धारा-5 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है। जिसकी पुष्टि अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा की गई है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य ना होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	